CNR No- UPMH1200- 2925- 2026

Bail Application No- 228/ 2026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, जनपद- महराजगंज।

सरकार बनाम कलामुल हक

मुकदमा संख्या- 1654/ 2003,

धारा- 279, 427 भा. द. स. व धारा- 184 मोटर व्हीकल एक्ट,

थाना- बृजमनगंज, जिला- महराजगंज

दिनाँक- 09- 06- 2026

अभियुक्त कलामुलहक पुत्र समीउलहक उपरोक्त अपराध संख्या- 341/ 2003, धारा- 279, 427 भा. द. स. व धारा- 184 मोटर व्हीकल एक्ट, , थाना- बृजमनगंज, जिला- महराजगंज में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त कलामुलहक पुत्र समीउलहक के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, प्रार्थी से किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा किसी का जानबूझकर कोई नुकसान नहीं किया है और न ही गाड़ी लापरवाही से चलाया है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर तेज गति से वाहन चलाकर आर्मी कैम्प की दीवार तोड़कर नुकसान कारित करने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया है और वह न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दाखिल है, विवेचना के क्रम में कोई साक्ष्य संकलन शेष नहीं है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई, (2021) 10 SCC 733** की विधि व्यवस्था में पारित दिशा- निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त कलामुलहक पुत्र समीउलहक का उपरोक्त मुकदमे में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु. - 20,000 रू. की पी. बी. इतनी ही समान राशि की **एक** जमानत दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा

जनपद- महराजगंज

J. O. Code- UP03359

Digitally signed by VISHWANATH PRATAP SINGH
Date: 2026.06.11 19:40:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court